न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर(ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—66/2020

प्रकरण दर्ज तिथि :—14.10.2020

जीसीएमएस नम्बर :—2020/00120

वादीगण :—

1. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन,
2. डालचन्द पुत्र छितरमल जाति भाम्बी, निवासी आईबीएम कॉलोनी आदर्शनगर अजमेर। हालमुकाम 2/28, गडडी थोरियान, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

// बनाम् //

प्रतिवादीगण :—

1. राणा पुत्र मंगला जाति बावरी, निवासी बुटीवास तहसील रायपुर,
2. जगदीश पुत्र मंगला जाति बावरी, निवासी बुटीवास तहसील रायपुर,
3. अणदा पुत्र मंगला जाति बावरी, निवासी बुटीवास तहसील रायपुर,
4. भाकर पुत्र रावत जाति बावरी, निवासी बुटीवास तहसील रायपुर,
5. महेन्द्रराम पुत्र उगमाराम जाति बावरी, निवासी रामावास (बुटीवास) तहसील रायपुर,
6. कानाराम पुत्र गुलाबचन्द जाति भाम्बी, निवासी कुमावतो का मोहल्ला गोविन्दगढ़ तहसील पिसांगन,
7. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्त. अधिनियम

1 श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण श्री जसंवत सिंह सांखला (प्रतिवादी संख्या 1,2,3,6) उपस्थित एवं शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 12.08.2024**

वादी की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र सैन द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 441 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीगणं 25/48 हिस्से यानि 6 बीघा 06 बिस्वा 00 बिस्वांसी भूमिपर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की [illegible] सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हुआ है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके [illegible] काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। पूरी उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोड फोडकर देते है एवं वादीगण को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है । वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 25/48 हिस्से यानि 6 बीघा 06 बिस्वा 00 बिस्वांसी हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

की भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीगण का अलग सें कब्जा व काश्त है वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी भूमि अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30/08/2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है वादीगण अपनी हक हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने के अधिकारी है इसलिए यह दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। तकासमा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे जिससे मल्टीप्लीसीटी आफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है।

सरहद मौजा ग्राम बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 441 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 25/48 हिस्से यानि 6 बीघा 06 बिस्वा 00 बिस्वांसी की भूमि पर वादीगण रिकोर्डेड काबिज खातेदार है। मौके पर वादीगण की भूमि बंटी हुई है वादीगण के कब्जे काश्त अनुसार भूमि की नापचौक कर पत्थरगड्डी कर नेखमबन्दी करवायी जावे व भूमि मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादीगण के हिस्से की भूमि का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे में बटटा नम्बर लगाकर अलग लाल रंग से ट्रेस नक्शे में तरमीम कर दर्शाया जावे लगान बांटा जावे, बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा किया जावे ऐसी तकास्मा आराजी की डिक्री व निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमावें।

अतः वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए है। प्रतिवादी संख्या 04, 05 के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी श्री जसंवत सिंह सांखला (प्रतिवादी संख्या 1,2,3,6) की ओर वकालतनामा पेश हुआ, जो शा.मि. हों। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर माफिक रेकर्ड व मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की।

उभयपक्ष बहस समायत की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी माफिक रेकर्ड व मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर प्राथमिक डिक्री जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड व मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश जारी किये गये।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/673 दिनांक 07.07.2023 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

अधिवक्तागण वादी व प्रतिवादी ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। वकील वादी व प्रतिवादी ने बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। वकील वादी व प्रतिवादी की बहस समायत की गई। बहस व पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा की अन्तिम [illegible] किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	चम्पालाल पुत्र गुलाराम हि. 24/25 जाति मेघवाल निवासी बारसा तहसील मारवाड जंक्शन खातेदार, डालचन्द्र पुत्र छीतरमल हि. 1/25 जाति मेघवाल सा. शिवाजी नगर आईबीस कॉलोनी के पीछे आदर्शनगर अजमेर खातेदार	441	1.0202	बारानी अव्वल	3.26
		1	1.0202		3.26
2	अणदा पुत्र मंगला हि. 4/23, जगदीश पुत्र मंगला हि. 4/23 राणा पुत्र मंगला हि. 4/23, भाकर पुत्र रावत हि. 4/23 महेन्द्र पुत्र उगमाराम हि. 1/23 जाति बावरी सा. देह खातेदार कानाराम पुत्र गुलाबचन्द्र हि. 6/23 जाति मेघवाल सा. गोविन्द्रगढ़ तहसील पीसागन जिला अजमेर खातेदार	441/1	0.9385	बारानी अव्वल	2.79
		1	0.9385		2.79

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन,
2. डालचन्द पुत्र छितरमल जाति भाम्बी, निवासी आईबीएम कॉलोनी आदर्शनगर अजमेर। हालमुकाम 2/28, गडडी थोरियान, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

// बनाम् //

प्रतिवादीगण :–

1. राणा पुत्र मंगला जाति बावरी, निवासी बुटीवास तहसील रायपुर,
2. जगदीश पुत्र मंगला जाति बावरी, निवासी बुटीवास तहसील रायपुर,
3. अणदा पुत्र मंगला जाति बावरी, निवासी बुटीवास तहसील रायपुर,
4. भाकर पुत्र रावत जाति बावरी, निवासी बुटीवास तहसील रायपुर,
5. महेन्द्रराम पुत्र उगमाराम जाति बावरी, निवासी रामावास (बुटीवास) तहसील रायपुर,
6. कानाराम पुत्र गुलाबचन्द जाति भाम्बी, निवासी कुमावतो का मोहल्ला गोविन्दगढ़ तहसील पिसांगन,
7. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, रायपुर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज. टि.एक्ट

राजस्व वाद संख्या 66/2020

मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	चम्पालाल पुत्र गुलाराम हि. 24/25 जाति मेघवाल निवासी बारसा तहसील मारवाड जंक्शन खातेदार, डालचन्द्र पुत्र छीतरमल हि. 1/25 जाति मेघवाल सा. शिवाजी नगर आईबीस कॉलोनी के पीछे आदर्शनगर अजमेर खातेदार	441	1.0202	बारानी अव्वल	3.26
		1	1.0202		3.26
2	अणदा पुत्र मंगला हि. 4/23, जगदीश पुत्र मंगला हि. 4/23 राणा पुत्र मंगला हि. 4/23, भाकर पुत्र रावत हि. 4/23 महेन्द्र पुत्र उगमाराम हि. 1/23 जाति बावरी सा. देह खातेदार कानाराम पुत्र गुलाबचन्द्र हि. 6/23 जाति मेघवाल सा. गोविन्द्रगढ़ तहसील पींसागन जिला अजमेर खातेदार	441/1	0.9385	बारानी अव्वल	2.79
		1	0.9385		2.79

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का [illegible] रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौ[illegible] वाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता [illegible] शेष [illegible] यथावत रहेगा।

नीज............... ....मुबलिक............... ....बाबत्............... खर्चा इस मु[illegible] सूद व शहर ....को अदा करे।

....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.'08.2024 को जारी किया गया।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	08	00	स्टाम्प वकालतनामा –	02	00
स्टाम्प वकालतनामा –	26	00	स्टाम्प हाजरी –	0	
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमि नर–		
फीस कमि नर–			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक –	0	00
मुतफरिक –	2	00	मीजान		
मीजान	36	00		02	00

नोट :–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested